



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, मंगलवार, 7 दिसम्बर, 2021 ई०
(अग्रहायण 16, 1943 शक संवत्)

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), प्रतापगढ़

संख्या 1350/जि०नि०का०(पं० एवं न० नि०)/उप निर्वा०/प्रधान-सदस्य/2021

दिनांक : 07 दिसम्बर, 2021 ई०

सूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट सपटित संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 12-खख के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० (पंचायत एवं नगरीय निकाय), लखनऊ की निर्गत अधिसूचना संख्या 5436/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/60-21/2021, दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 के क्रम में मैं, डा० नितिन बंसल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), प्रतापगढ़, एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद प्रतापगढ़ की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे—

समय-सारिणी

नाम निर्देशन-पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय	नाम निर्देशन-पत्रों की संविधा का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
12 दिसम्बर, 2021 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक)	13 दिसम्बर, 2021 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	14 दिसम्बर, 2021 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	14 दिसम्बर, 2021 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	20 दिसम्बर, 2021 (प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	21 दिसम्बर, 2021 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

अधोहस्ताक्षरी की उपर्युक्त सूचना के अधीन निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं प्रधानों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुये अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 को निर्गत करेंगे और उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे।

नियुक्त निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा इस चुनाव कार्यक्रम का स्थानीय समाचार-पत्रों में निःशुल्क व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट्टों में यह कार्यक्रम प्रदर्शित किये जायेंगे। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन अधिकारी की सूचना निर्गत किये जाने के दिनांक अर्थात् दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 से नामांकन-पत्रों का विक्रय किया जायेगा।

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। उक्त निर्वाचन हेतु नामांकन-पत्र दाखिल करने, इनकी जांच करने व उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी।

उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

डा० नितिन बंसल,
जिला मजिस्ट्रेट /
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०),
प्रतापगढ़।